कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक/रीडर/ 447/24

दिनांक :– 27.05.2024

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. स. 447/24 अनवान सोदरी पत्नि रूपलाल बलाई निवासी टीकड **<u>बनाम</u>** अशोक पुत्र माधुराम बलाई निवासी टीकड, गुरूवचन पुत्र शिवजीराम बलाई निवासी टीकड, गोपाल पुत्र रामनारायण रेगर निवासी जहाजपुर, दुर्गा देवी पत्नी सोजीराम बलाई निवासी टीकड, पुजा पुत्री सोजीराम बलाई निवासी टीकड, रीना पुत्री सोजीराम बलाई निवासी टीकड, सीमा पुत्री सोजीराम बलाई निवासी टीकड , सोना पुत्र सोजीराम बलाई निवासी टीकड, महेन्द्र पुत्र सुखा मीणा निवासी टीकड, लादु पुत्र सुखा मीणा निवासी टीकड , सुरजमल पुत्र कुरा मीणा निवासी केसरपुरा, कमला देवी पत्नी भैरूलाल खटीक निवासी शाहपुरा,गणेश पुत्र भैरूलाल खटीक निवासी शाहपुरा, पीयुष पुत्र भैरूलाल खटीक निवासी शाहपुरा, भैरू लाल देबीलाल बलाई निवासी टीकड, सेवाराम पुत्र देबी लाल बलाई निवासी टीकड, सोहनी पुत्री देगी लाल बलाई निवासी टीकड , तहसीलदार जहाजपुर वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विशयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम टीकड प.ह. टीकड आराजी सं. 2727, 5082/2772 कुल किता 02 रकबा 0.3534 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोश में जमा करावे। **पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार ~~[illegible]~~ जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

सोदरी पत्नि रूपलाल बलाई निवासी टीकड

बनाम

अशोक पुत्र माधुराम बलाई निवासी टीकड वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए मुकदमा नंबर /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
27/05/2024	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाशक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम टीकड प.ह. टीकड आराजी सं. 2727, 5082/2772 कुल किता 02 रकबा 0.3534 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृशि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाशक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पश्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम टीकड प.ह. टीकड आराजी सं. 2727, 5082/2772 कुल किता 02 रकबा 0.3534 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में,पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रू राजकोश में जमा करावे। **पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे।** पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 27/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा	

Scanned with CamScanner